

Centre of Fashion Design & Technology

Institute of Professional Studies

University of Allahabad

Instructions for Admission

NO MASK

NO ENTRY

Two Year Advanced Diploma in Fashion Design & Technology

1. All the listed candidates have to report at **Centre of Food Technology, Science Faculty Campus, IPS, UoA** for counseling cum admission on **25th November, 2020 (Wednesday) at 9:00 AM** .

a. Registration and Document Verification: time: 9:15 am to 10:30 AM

b. Admission & Fee Deposition: 11:00 AM onwards on 25th November, 2020 (Wednesday)

2. Documents Required: The candidates must bring the following documents at the time of Registration cum Admission:

- I. Entrance Score Card
- II. High School Mark-sheet and Certificate (original and photocopy)
- III. Intermediate Mark-sheet & Certificate (original and photocopy)
- IV. Original Transfer Certificate (T.C.)/Migration Certificate
- V. 2 recent Passport Size Photograph (not older than 3 months)
- VI. Aadhar Card Photocopy (Mandatory)
- VII. Latest Caste Certificate (OBC/SC/ST)
- VIII. EWS Certificate (Mandatory for admission under EWS Category)
- IX. NCC Certificate (Mandatory if weightage claimed)
- X. Anti-Ragging Under Taking by the parents (**Annexure-1**)

Entry of only one person shall be allowed with the candidate in the campus

3. Fee Details: Bring bank drafts (**DD-I**) as per details given below. The University dues will be deposited online through University Website after admission.

Draft	Head	Amount	Total	DD in favour of	Payable at
DD-1	Course Fee	22,000/-	24,000/- (for 1 st Semester)	Director, IPS, UoA	Prayagraj
	Caution Money (One time- refundable) for library	2,000/-			
University Dues & Examination Fee (Annual)		Rs.1,376/-		The University dues will be deposited online through University Website after admission	

IMPORTANT INSTUCTION

Admissions shall be made strictly on the basis of merit & availability of the seats.

Candidates are required to adhere to guidelines and new process for Social Distancing and hygiene to ensure safety & health of their own and fellow candidates

माता-पिता/अभिभावक द्वारा दी गयी प्रतिबद्धता

1. श्री/श्रीमती/सुश्री माता-पिता/अभिभावक इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा 2020 रैंक के माता-पिता/अभिभावक, जिसके छात्र को इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रवेश दिया गया है, इसने उच्च शैक्षिक संस्थानों में 2009 में रैंगिंग के जोखिम पर नियंत्रण लगाने से सम्बद्ध यूजीसी विनियमों (जो आगे से विनियम के नाम से कहलायेंगे) को ध्यानपूर्वक पढ़ लिया है तथा इन विनियमों में समाविष्ट प्रावधानों को पूरी तरह समझ लिया है।
2. मैंने, विशिष्ट रूप से इन विनियमों का अवलोकन किया है तथा मुझे इस बात की जानकारी है कि रैंगिंग में क्या बात शामिल है।
3. मैंने विनियमों की धारा 7 एवं 9.1 को भी विशेष रूप से अध्ययन किया है तथा मैं पूरी तरह से जागरूक हूँ कि यदि मेरी संतान रैंगिंग की अथवा रैंगिंग में सहायक होने की सक्रिय अथवा छिपे तौर से दोषी पाया/ पाई जाता/जाती है अथवा रैंगिंग को बढ़ावा देने के षड्यन्त्र का एक हिस्सा होता/होती है तो उस स्थिति में उसके विरुद्ध जिस दण्डात्मक एवं प्रशासनिक कार्यवाई का वह भागीदार होगा/होगी, वह मेरे संज्ञान में है।
4. मैं एतद्वारा सत्यनिष्ठ रूप से प्रमाणित करता/करती हूँ एवं आश्वासन देता/देती हूँ कि
 (क) मेरी संतान ऐसे किसी व्यवहार अथवा कृत्य में संलिप्त नहीं होगी जिसे विनियमों की धारा 3 के अन्तर्गत रैंगिंग माना गया है।
 (ख) मेरी संतान जानबूझकर अथवा भूलचूक से ऐसे किसी कृत्य में न तो संलिप्त होगी अथवा न ही उसमें सहायक होगी ना ही उसे प्रोत्साहित करेगी जिसे इन विनियमों की धारा 3 के अन्तर्गत रैंगिंग के रूप में माना गया है।
5. एतद्वारा मैं यह घोषित करता/करती हूँ कि यदि मेरी संतान रैंगिंग की दोषी पाई जाती/पाया जाता है तो वह इन विनियमों की धारा 9.1 के अनुसार दण्ड की भागीदार होगा/होगी जो कि किसी भी अन्य आपराधिक कृत्य के पूर्वाग्रह के बिना होगा तथा जो दण्ड मेरी संतान के विरुद्ध किसी भी दण्ड सम्बन्धी कानून के अथवा वर्तमान में लागू किसी भी अन्य कानून के अनुसार होगा।
6. एतद्वारा मैं यह घोषित करता/करती हूँ कि यदि मेरी संतान इस देश में विद्यमान किसी भी संस्थान द्वारा रैंगिंग की दोषी अथवा उसमें सहायक होने की अथवा षड्यन्त्र का एक हिस्से के रूप में दोषी होने के कारण अथवा उसे प्रोत्साहित करने के दोष के कारण निष्कासित नहीं हुई है/हुआ है तथा मैं यह भी पुष्टि करता हूँ कि यदि यह घोषणा असत्य पाई जाती है, तो मेरी संतान को दिया गया प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा।
 घोषित किया गया . दिन माह वर्ष

शपथकर्ता के हस्ताक्षर

नाम:

पता:

दूरभाष सं./मो.नं.

सत्यापन

सत्यापित किया जाता है कि यह वचनबद्धता मेरे संज्ञान सर्वांगीण रूप से सत्य है तथा इसका कोई भी अंश असत्य नहीं है तथा इसमें कथित कोई भी बात ना तो छिपाई गई और ना ही अयथार्थ कही गयी है।

सत्यापित (स्थान) दिन माह वर्ष

शपथकर्ता के हस्ताक्षर

नाम: